

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर

0151- 2544098

Aradhya
Amr Mahotsav

deosecbikaner@gmail.com

कार्यालय आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के विज्ञप्ति क्रमांक: प.14(108)RSSB/अर्थना/मा.शि./शा.शि./भर्ती/2022/567 दिनांक 16.06.2022 द्वारा आयोजित शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा-2022 एवं श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक:-शिविरा-मा./संस्था/एफ-1/12102(203)/सी.भ./पीटीआई/2021-2022 दिनांक:-02.09.2023 द्वारा जारी गैर अनुसूचित/अनुसूचित क्षेत्र के लिए चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों की सूची एवं दिशा-निर्देशानुसार बीकानेर जिले में आवंटित अभ्यर्थियों के पदस्थापन हेतु दिनांक 08.09.2023 व 09.09.2023 को कार्यालय स्तर पर परामर्श शिविर आयोजित कर अभ्यर्थियों द्वारा विकल्प प्राप्त किये गये।

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1/12102(203)/सी.भ./पीटीआई/2021-22 दिनांक:-04.10.2023 द्वारा उक्त भर्ती में चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों में अंकित Only Counselling वाले अभ्यर्थियों की शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक दस्तावेजों की संबंधित विश्वविद्यालय/संस्था से Genuine रिपोर्ट प्राप्त होने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के वेतनमान, लेवल-10 में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनरी ट्रेनी) के रूप में दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नियमानुसार देय नियम मानदेय रु.23700/- प्रतिमाह/विद्यमान वेतन पर निम्नांकित शर्तों/समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अध्याधीन संलग्न सूची अनुसार पदस्थापन किया जाता है :-

- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में Fixed Remuneration के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षती पुर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में RGHS, सामान्य प्रावधानी निधि 2004 आदि की कटौती नियमानुसार की जावेगी।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक -एफ 12 (9) एफ.डी.(रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
- संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे :-

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे। इसके अभाव में अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से ही राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. जिन अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने पर उक्त के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं 26.10.2021 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे। किसी अभ्यर्थी की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने/के बिना कार्यग्रहण करवाया जाता है तो संबंधित संस्था प्रधान के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावे।

Signature valid

Digitally signed by Surendra Singh Bhati
Designation : District Education Officer
Date: 2023.10.05 16:47:23 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4854808



3. कार्यग्रहण कराने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-2/95 दि 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 02 से अधिक नहीं होने सम्बन्धी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 50 रुपये के नोनज्युडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
4. संबंधित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व दो राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये जावें
5. अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेज की जांच आवश्यक रूप से कर लेंवें।
6. विवाहित अभ्यर्थी के मामले में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्संबन्धी आशय का 50 रुपये के नोनज्युडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे।
7. आवेदक से दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
8. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से रु.50/- के नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक योग्यता/योग्यता एवं खेल प्रमाण पत्र दैध या मान्य नहीं पाये गये तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
9. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया हुआ हो, पूर्ण जाँच उपरान्त ही नियुक्ति की कार्यवाही सम्पादित की जावे।
10. अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया हुआ हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रिमिलियर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी क्रिमिलियर की श्रेणी में आता है तो सूचना इस कार्यालय को तत्काल भिजवाएँ।
11. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो, तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दें। उपर्युक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त की अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित आवेदकों को नियुक्ति प्रदान करने संबंधी कार्यवाही करें। यदि कोई अभ्यर्थी क्रिमिलियर की श्रेणी में आता है तो उसका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।
12. आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में राज्य सरकार के परिपत्र प. 7/1/DOP/A-II@2019 दिनांक 20.10.2019 क अन्तर्गत जारी किया होना चाहिये।
13. कार्यग्रहण से पूर्व मूल प्रमाण पत्रों से जांच की जानी आवश्यक है एवं जांच में किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत करायेगें एवं अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र मय सूची इस कार्यालय को लौटाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
14. चयनित अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश, प्रसारित विज्ञप्ति **शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा-2022** के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न समान याचिकाओं के निर्णयों के अध्याधीन रहेंगे।

Signature valid

Digitally signed by Surendra Singh
Bhati
Designation : District Education Officer
Date: 2023.10.05 13:47:23 IST
Reason: Approved



15. सम्बन्धी अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व दो राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये जावें।
16. जिन अभ्यर्थियों को वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्ति प्रदान की गई है शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद उपलब्ध होने पर पद विरुद्ध पदस्थापित नवचयनित शारीरिक शिक्षकों को मूल पद पर पदस्थापन किया जायेगा।
17. संस्था प्रधान कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धुम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
18. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक:प.7(13)कार्मिक/क-2/23 दिनांक 11.05.2023 के अनुसार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं राष्ट्र की प्रभुता, अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जाकर सेवा अभिलेख में संकलित किया जावें।
19. इनके कार्यग्रहण की सूचना संबंधित संस्था प्रधान शाला दर्पण पर कार्यग्रहण करवाकर इस कार्यालय को सूचित करेंगे।
इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर **दिनांक 27.10.2023** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों/सूचना सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त की जायेगी।
संलग्न:- पदस्थापित अभ्यर्थियों की सूची

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा बीकानेर

क्रमांक— जि।अ/मुमा.1/बीका/संस्था-2/F-203/पी.ई.टी./2023/440 दिनांक:— ~~18.09.2023~~ ^{5.10.2023}
प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. श्रीमान् सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
2. श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
4. श्रीमान् संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा बीकानेर मण्डल बीकानेर।
5. श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, बीकानेर।
6. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा.....को भेजकर लेख है कि चयनित अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र भेजे जा रहे हैं जिनका वितरण संबंधित संस्था प्रधान को चयनित अभ्यर्थी के कार्यग्रहण बाबत वितरण करेंगे।
7. संबंधित संस्था प्रधान.....को भेजकर लेख है कि कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त मूल आवेदन पत्र चयनित अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पंजिका में लगावें, जिन अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण नहीं करने पर उनके मूल आवेदन पत्र पुनः इस कार्यालय को वाहक स्तर द्वारा भिजवायें।
8. संबंधित अभ्यर्थी.....
9. नोटिस बोर्ड स्थानीय कार्यालय
10. संस्था-3 (वरिष्ठता/डीपीसी) प्रभाग, कार्यालय-हाजा।
11. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Surendra Singh
Bhati
Designation : District Education Officer
Date: 2023.10.05 16:47:23 IST
Reason: Approved

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, बीकानेर

क्रमक- जिशिय/मुमाशि/बीका/संस्था-2/र-203/पीईटी/2023/477

दिनांक: 05.10.2023

शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा-2022 में गैर-अनुसूचित क्षेत्र (नॉन-टीएसपी) हेतु अंतिम रूप से चयनित एवं अभिलेखित अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश

क्र.सं.	भरित क्रमांक	पैल नम्बर	पल कार्याल	ललल ललल	ललल	ललल ललल	ललल	ललल	ललल	ललल	ललल
1	53	739642	BHAGIRATH JAKHAR	FUSHA RAM JAKHAR	KESAR DESAR GANGAGIRAN - BIKANER District	21-Mar-1997	GEN	—	Male	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KULKIYA (476066)(08030411501)	NOKHA
2	296	718864	BHURA RAM HUDDA	RAM DEV HUDDA	MASOORI MASOORI District BIKANER	08-Jan-2000	GEN	SP	Male	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL, SINTHAL (211200)(08030106906)	BIKANER
3	788	716737	MANISHA BISHNOI	BHAMAANA RAM	VILL-BAJU KHALSA TEH-BAJU DIS- BIKANER District	15-May-1997	GEN	—	Female	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL, SWAROOPDEGAR (211185)(08030102601)	BIKANER
4	1526	706434	ANSUYA BITHU	GHANSHYAM BITHU	WARD NO-9, NAGANYO KA BASS SINTHAL - District BIKANER	01-Jun-1999	GEN	—	Female	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL, SURDHANA CHODHANAN (211191)(08030104401)	BIKANER
5	1160	741224	POONAM CHAND	KANA RAM	741224 no	26-Aug-1985	GEN	EX	Male	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL, CHANDASAR (211326)(080301001)	KOLAVAT
6	4991	725228	SHANWAR LAL BISHNOI	BANWARI LAL BISHNOI	VPO:K:AFRA NOKHA NOKHA District BIKANER	03-Mar-1984	OBC	EX	Male	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL KAKRA (211436)(08030411804)	NOKHA
7	1676	703796	SUMAN BISHNOI	KRISHAN LAL	NEAR BISHNOI MANDIR, SARDARPURA LADANA POST- BIRDIWAL HEAD, TEH-SUKATOAKH SRI GANGANAGAR, RAJASTHAN District SRI GANGANAGAR	01-Apr-1995	GEN	—	Female	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL, MAHAJAN (480229)(08030214501)	LINKARANSAR
8	3393	709143	SHEETAL PARIHAR	ANIL SINGH PARIHAR	BATA GALI K.E.M. ROAD BIKANER District BIKANER	12-Apr-1994	GEN-EWS	—	Female	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL, LAISAR (226858)(08030105401)	BIKANER

Signature valid

Digitally signed by Surendra Singh Bhati
Designation : District Education Officer
Date: 2023.10.06 18:47:26 IST
Reason: Approved

Rajkaj Ref No. : 4854776





Rajkaj Ref No. : 4854776

9	372	730655	NARPAT SINGH BITHU	HARIOM SINGH	WARD NO 08 NAGANITO KA BAS SEHTHAL BIKANER District BIKANER	06-Jul-2003	GEN	—	Male	GOVT UPPER PRIMARY SCHOOL RAVI A DEHAR DIRGARPTRA (476626)(08030413201)	NOKHA
10	692	729088	MANGILAL	BIRBHAN	WARD NO 6 VILLAGE PEEPASAR RAJYASAR SRATGARH District SRI GANGANAGAR	15-Apr-1998	GEN	—	Male	MAHATMA GANDHI GOVT SCHOOL KOLANA BAS KHOKHANA (407017)(08030213403)	LUNKARAN SAR
11	745	714679	RAJENDER KUMAR	SHARVAN KUMAR	WARD NO 21 RAISINGHAR - District BIKANER	23-Jan-1999	GEN	—	Male	GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL LAKHAWAR (478741)(08030212101)	LUNKARAN SAR
12	1394	726431	POONAM SINGH	MOOL SINGH	WARD NO 08 UTTARADA BAS BELASAR District BIKANER	15-Sep-2000	GEN	—	Male	GOVT UPPER PRIMARY SCHOOL CHAK 4 CD (479150)(0803099004)	BAJU KHATSA
13	2975	734380	BAJARAN SINGH	BAGAR SINGH	WARD NO 4, 2 MINWAL MANEWALA RAMPIRA NEOLA District SRI GANGANAGAR	12-Mar-1997	SC	—	Male	GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL BALLAR KHADUWALA (211503)(08030600301)	KHADUWALA
14	3061	703909	SURESH KUMAR	AMAR SINGH	WARD NO 11 VPO- NETHWALA SRIGANGANAGAR District SRI GANGANAGAR	17-Mar-1994	SC	—	Male	GOVT UPPER PRIMARY SCHOOL 7AD PLUGAL (410954)(08030604501)	POOGAL
15	3916	739637	SHARWAN KUMAR	MANPHOOL RAM	WARD NO-08 VPO- JANDWALA SIKHAN TH SANGARIA District HANUMANGARH	16-Aug-1991	SC	—	Male	GOVT UPPER PRIMARY SCHOOL 7 A M (478828)(08030310701)	BAJU KHATSA
16	4057	749011	PRINCE SUDIA	RAMCHAND SUDIA	WARD NO 08 KARNI SINGH MARG 1 E CHHOTI District SRI GANGANAGAR	29-Mar-2000	SC	—	Male	GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL SEVDA (211342)(0803060001)	BAJU KHATSA

नोट :- क्र.स. 5.6.7.10 पर अधिकृत अभ्यर्थियों को वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्ति प्रदान की गई है शारीरिक शिक्षा अभ्यासक के पद उपलब्ध होने पर पद विरुद्ध पदस्थानित नववर्धनित शारीरिक शिक्षकों को मूल पद पर पदस्थानन किया जायेगा

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक, बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Surendra Singh
Bhati
Designation : District Education Officer
Date: 2023.10.05 18:47:26 IST
Reason: Approved